फा.सं.ए.22017/02/2013-प्रशसन-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(प्रशासन-। अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2015

परिपत्र

विषय: **केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी स्तर पर परार्मशदाता के रूप में अनुबंधित करने के संबंध में ।**

अनुभाग अधिकारी के स्तर पर पूर्णकालिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, सेवानिृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार से सेवानिृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले इच्छुक एवं पात्र अधिकारी अपना बायो-डाटा एवं संपर्क का ब्यौरा (टेलीफोन/मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता) के साथ-साथ अपने सेवाकालीन अनुभव का ब्यौरा/धारित पद, अंतिम आहरित ग्रेड वेतन आदि 16 नवंबर, 2015 तक उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 564, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास भेज सकते हैं। निबंधन एवं शर्तें तथा परिलब्धियां निम्नवत् हैं:

I. पात्रता

i) केंद्र सरकार की सेवा से अनुभाग अधिकारी स्तर से सेवानवृित्त हुए हों।

ii) सरकार/मंत्रालयों के कार्यकरण से भली-भांति परिचित हों।

iii) प्रशासन (सामान्य प्रशासन सहित), सतर्कता एवं प्रापण संबंधी मामलों को संभालने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

iv) कम्प्यूटर पर काम करने की जानकारी होनी चाहिए।

v) आयु-सीमा 65 वर्ष।

II. निबंधन एवं शर्तें

परामर्शदाताओं का अनुबंध निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

i) अनुबंध छह माह के लिए अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक के लिए किया जाएगा।

ii) यदि अनुबंध की अवधि बढ़ाई जानी हो तो वह पूर्णत: सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधीन होगा।

iii) कार्य दिवसों के दौरान, कार्य घंटे पूर्वाह्न 9:30 से अपराह्न 6:00 तक होंगे जिसमें अपराह्न 1:30 से अपराह्न 2:00 बजे तक आधा घंटे का भोजनावकाश होगा। तथापि, कार्य की अधिकता होने पर उन्हें देर तक कार्य करना पड़ सकता है अथवा उन्हें शनिवार/रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों पर बुलाया जा सकता है।

iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए और बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

v) कोई टाइपिंग सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

III. परिलब्धियां

i) भुगतान की जाने वाली समेकित परामर्श फीस 25,000/-रु. प्रतिमाह होगी।

3. मंत्रालय/विभाग इस परिपत्र को अपने स्टाफ के बीच व्यापक रूप से प्रचारित भी कर सकते हैं और अपने संबद्ध कार्यालयों की जानकारी में ला सकते हैं।

जितेन्द्र

(जितेंद्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. नोटिस बोर्ड/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अनुभाग।

प्रतिलिपि:-

1. एनआईसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस परिपत्र को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर 'वैकेंसी' श्रेणी के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के प्रधान निजी सचिव /विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।